# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## परिचय

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इस अधिकार को विकसित करने के लिये प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हजारों बच्चों को सैंकड़ो स्कूलों में शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी। यू.पी.आर एम.एस.ए. केन्द्र सरकार द्वारा समर्पित ऐसी योजना है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर बच्चों में शिक्षण का अवसर प्रदान करने की वृद्धि की जा सकती है। इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रसार सर्वजन में करने के साथ ही शिक्षा के गुणवत्ता में भी उन्नति की जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य गुणत्ता प्रधान शिक्षा देने के साथ ही सभी युवा बच्चों को सीमित आर्थिक संसाधन के अन्तर्गत शिक्षा देना है। यू.पी. आर एम.एस.ए. एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन ऐजेन्सी है जिसके द्वारा पूरी परियोजना का समन्वय, परियोजना के लिये निधि आवंटन ,निधि का लेखा-जोखा रखा जाना, इसका प्रबंधन एवं पर्वेक्षण आदि होता है।

## उद्देश्य

- 14-18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता प्रधान एवं सीमित आर्थिक संसाधनों में शिक्षा देना।
- उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यमान आधारभूत सुविधाओं में अभिवृद्धि करना।
- अधिक से अधिक हाईस्कूल विद्यालयों की स्थापना एवं मिडिल स्कूलों के उच्चीकरण के द्वारा कक्षा-8 उत्तीर्ण प्रत्येक छात्र किन्तु विशेषतया छत्राओं को माध्यमिक शिक्षा के स्तर में शिक्षित करना है।
- प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में आधारभूत संसाधनों की वृद्धि करना।
- प्रत्येक विद्यालय में यथा आवश्यक शिक्षकों एवं प्रशासकीय कर्मियों में वृद्धि करना।
- सभी बच्चों विशेषतया बालिकाओं हेतु स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना और उन्हें मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करना।
- शिक्षण को प्रभावशाली, अभिरूचिपूर्ण एवं अर्थवान बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों के रूप में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, क्रीड़ा स्थ्लों के निर्माण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित करना।
- वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ाकृत करने के उद्देश्य से कक्षाओं की मरम्मत, उनका पुनुरूद्धार एवं अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की योजना को क्रियान्वित करना।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रभावशाली एवं योजनाबद्ध गुणवत्ता की प्रगति एवं उन्नति की सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा को पूर्ण करने एवं विश्व को योगदान करने का सुअवसर में उपलबध कराना।
- विद्यार्थियों में जीवन निर्वाह कौशल एवं जीवन गुणवत्ता को समग्रता में विकसित करना।

- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लैंगिक सामाजिक आर्थिक रूढ़ियों, असमर्थताओं अथवा अन्य अवरोधों के कारण सन्तुष्टिपरक माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहने पाये।

# बालिका छात्रावास

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संशोधित योजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रमुख रूप से शैक्षिक स्तर पर पिछड़े ब्लाकों में महिला छात्रावास के गठन एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बालिका छात्राओं को ऐसे विद्यालयों में भेजना और इन विद्यालयों में उनके अस्तित्व को बनाये रखना है। यह योजना निम्नवत् विकसित की जायेगी-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित कक्षा  में पढ़ने वाली छात्राओं की समुचित शिक्षा।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने  वाली छात्राओं के निमित्त यह योजना क्रियान्वित की जायेगी। इससे बालिका छात्राओं में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा एवं इससे लैंगिक भेदभाव की भवना भी समाप्त हो सकेगी।

**कार्य योजना-**

- निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान का चयन।
- राज्य सरकार से सम्बन्धित छात्रावास प्रमुख रूप से के॰ जी॰ बी॰ वी॰  परिसर में ही निर्मित करायें जायेंगे।
- छात्रावास प्रदेश सरकार द्वारा चयनित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में निर्मित कराये जायेंगे।
- छात्रावास शासकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों से दूर नहीं स्थापित किये जायेंगे ताकि आवासियों को अधिक दूरी न तय करना पड़े।
- राज्य सरकार को राज्य आय-व्यय-व्ययक में आवश्यक आय-व्ययक प्राविधान करना होगा।
- राज्य सरकार को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना होगा।
- छात्रावासों में दाखिला करायी गयी छात्राओं में कम से कम 50ः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यकों से सम्बन्धित होनी चाहिये।
- बालिका छात्राओं के शिक्षण में किसी आवसीय योजना के क्रियान्वयन में पंचायत को भी सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु पंचायतों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त ऐसी छात्राओं की अद्यतनीकृत सूची तैयार रखनी होगी जिन्हें छात्रावास सुविधा की आवश्यकता हो।

- बालिका छात्रावास के क्रियान्वयन एवं पर्वेक्षण में पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों एन0जी0ओ0 (छळव्) एवं अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाओं को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है।
- इन छात्रावासों का संचालन योजना का प्राशासकीय नियंत्रण करने वाले सम्बन्धित विद्यालयों के हेडमास्टर /प्राधानाचार्य द्वारा किया जायेगा।
- इन हॉस्टलों में रसोई, शौचालय एवं सामान्य उपयोग के अन्य स्थानों /स्थलों को छोड़कर प्रत्येक सहवासी के लिये न्यूनतम आवासीय स्थान 40 वर्ग फीट होना चाहिये।
- भवन निर्माण भूकम्प प्रतिरोधी मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- भवन में उत्कृष्ट कोटि के आधारभूत उपकरणों को लगाया जायेगा।
- के॰ जी॰ बी॰ वी॰ परिसर में स्थित छात्रावासों में प्राध्यापिका छात्रावास का अध्यक्ष (वार्डेन) नियुक्त किया जायेगा। उन्हें उनके वेतन के अतिरिक्त मानदेय भी दिया जायेगा।
- पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सरलीकृत करने के उद्देश्य से हास्टल के प्रत्येक सहवासी को छायाचित्र चस्पा किया हुआ विशिष्ट नम्बर ; वाला पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना का निरन्तर मूल्यांकन करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के अभिकरणों (Agencies) द्वारा नियमित, सुव्यवस्थित एवं सुगठित व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न कार्य-स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा।

## मानक विद्यालय (Model School)

केद्रिय विद्यालयों के स्तर के अनुरूप ही मानक विद्यालयोंमें आधारभूत संसाधन एवं सुविधायें विकसित की जायेंगीं। मानक विद्यालयों की कतिपय विशेषतायें निम्नवत् हैं-

- बच्चों के सम्पूर्ण विकास के उद्देश्य से समग्रता में शिक्षा उपलब्ध करना।
- वर्तमान विद्यालयों को मानक विद्यालयों में परिवर्तित करना।
- मानक विद्यालयों में केवल संतोषप्रद शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही नहीं अपितु क्रीड़ा एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिये भी आधारभूत संसाधन होना आवश्यक है।
- मानक विद्यालयों में क्रीड़ा मैदान, बाग-बगीचे एवं प्रेक्षागृह इत्यादि होंगे।
- शिक्षा गतिविधि प्रधान होनी चाहिये।
- विद्यालयों में सूचना संसार तकनीकी (आई.सी.टी.-ICT) संसाधन, इन्टरनेट सम्बद्धता एवं पूर्णकालिक कम्प्यूटर अध्यापक होने आवश्यक हैं।
- अध्यापक छात्र अनुपात 1:5 (125) से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- गतिविधियों की सुविधा सृजित करने हेतु कला एवं संगीत अध्यापक उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ऐसे विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षण का प्रारम्भ किया जायेगा।
- शैक्षिक शक्ति एवं कार्यक्षेत्र का व्यवहारिक कौशल ही इन विद्यालयों के संसोधन/सुधार हेतु अभिन्न आवश्यकता होगी।

## मानक विद्यालयों की स्थापना-

- ये विद्यालय वर्तमान प्रदेश सरकार के मानक विद्यालयों में परिवर्तित विद्यालय अथवा पूर्णरूपेण नवीन विद्यालय होंगे।
- जहॉ कहीं भी आवश्यकता हो, प्रदेश सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
- ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में स्थापित किये जायेंगे किन्तु अनूसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ऐसी प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा जो इन विद्यालयों का प्रबन्धन कर सकें। अतएव इन संस्थाओं पूंजीगत लागत में राज्यांश का ऋण दिया जायेगा।
- प्रदेश सरकार द्वारा ब्लाक,जनपद एवं प्रदेश स्तर पर पर्यावेक्षण समितियां स्थापित की जायेंगीं जिनमें केन्द्र सकरार के भी सदस्य होंगे।
- केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार के आधीन 3500 विद्यालयों का निर्माण किया जाना है और इनको प्रादेशिक संस्थाओं के निमित्त अवमुक्त कर दिया जायेगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को अवमुक्त कर दिये जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन संस्थाओं के पक्ष में अवमुक्त कर दिया जायेगा।

# विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS)

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को मार्च 2009-10 से शुरू किया गया था। इस स्कीम को पूर्ववर्ती विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (आईईडीसी) स्कीम के स्थान पर शुरू किया गया है तथा इसके तहत कक्षा-IX-XII तक के विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इस स्कीम का उद्देश्य सभी विकलांग विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्ष पूरा करने के बाद माध्यमिक विद्यालय स्तर के अगले चार वर्षों (कक्षा IX से XII) तक समावेशी एवं अनुकूल माहौल में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है।

## इस स्कीम के संघटकों में शामिल है :

i) चिकित्सीय/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, ii) विद्यार्थी विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान करना, iii) अध्ययन सामग्री का विकास करना, iv) विशेष एडुकेटर्स जैसी सहायक सेवाएं, v) संसाधनों कक्षों का निर्माण तथा उन्हें उपकरणों से साज-सज्जित करना, vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने कीक्षमता का निर्माण करने हेतु सामान्य स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और viii) स्कूलों को बाधा रहित बनाना। प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की भी अभिकल्पना की गई है।

इस स्कीम में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले वे सभी बच्चे शामिल किए गए है, जो 14+ से 18+ (कक्षा IX से XII) आयु के हैं तथा राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995) एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) में परिमाणित की गई एक या एक से अधिक विकलांगता है। में विकलांगता इस प्रकार है -

: i) अन्धता, ii) कम दृष्टि, iii) उपचारित मिर्गी, iv) सुनने में बाधा, v) लोकोमोटर विकलांगता, vi) मानसिक विकलांगता,   viii) आटिज्म और ix) सेरिबरल पाल्सी तथा बोलने में मुश्िकल, सीखने में मुश्किल को शामिल किया गया है। अक्षम बालिकाओं के लिए प्रतिमाह `200 के बजीफा का प्रावधान किया गया है।

विकलांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा इस स्कीम के तहत माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन हेतु उनकी सहायता करना तथा उनकी क्षमताओं के विकास के लिए सूचना तथा दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल है।

इस स्कीम में शामिल किए गए सभी मदों के लिए केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत आधार पर प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन (यूटी) के स्कूल शिक्षा विभाग इस स्कीम की

कार्यान्वयन एजेंसी होगी। वे इस स्कीम के कार्यान्वयन में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल कर सकते हैं, केन्द्रीय स्तर पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा इसके मूल्यांकन की मानीटरिंग हेतु एक परियोजना मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन समूह (पीएमईजी) का गठन किया गया है। इसमें समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। निर्धारित फार्मेट के अनुसार, प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा इसका अनुमोदन पीएमईजी द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) द्वारा की जाती है।

## माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन

भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसे "माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय स्कीम" कहा जाता है, शुरू की है। इस स्कीम के अनुसार, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की पात्र बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में 3000 रूपए की राशि जमा की जाती है और वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर और 10वीं कक्षा उर्तीण कर लेने पर इसे ब्याज सहित निकालने की पात्र होगी। इस स्कीम में (i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली सभी पात्र बालिकाओं और (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली सभी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर ध्यान दिए बिना) बालिकाएं जो सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय विद्यालयों में कक्षा IX में नामांकित है, को शामिल किया जाता है।

इस स्कीम का उद्देश्य समाज की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित करना, और अध्ययन छोड़ने की उनकी दर को कम करना है तथा 18 वर्ष आयु तक उन्हें विद्यालयों में बनाए रखना है।

# कन्या विद्या धन योजना

उ0प्र के श्री राज्यपाल महोदय, द्वारा प्रदेश में आर्थिक दशा से कमजोर परिवारो की हाईस्कूल उत्तीर्ण ऐसी छात्राये जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर वर्ष 2012 एवं उसके पश्चात इण्टरमिडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कन्या विद्याधन योजना वर्ष 2012 से लागू किये जाने की स्वीकृति

प्रदान की गई है। इस योजना के तहत इण्टरमिडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओ को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 30000.00 की राशि एक मुश्त प्रदान की जायेगी। कन्या विद्याधन योजना हेतु मानक एवं शर्ते निम्न है।

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमिडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कक्षा 12 उत्तीर्ण होने वाली छात्रा जिनके परिवार की सकल आय रू0 35000.00 हजार से अधिक न हो।
2. चयनित छात्रा को देय धनराशि जनपदीय समिति के माध्यम से उनके द्वारा खोले गये राष्ट्रीयकृत बैक खाते में अन्तरित की जायेगी। अथवा चैक के माध्यम से वितरित की जायेगी।
3. चयनित छात्रा को कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात एक मुश्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 30000.00 दी जायेगी।
4. इस योजना का लाभ छात्रवृत्ति या अन्य योजना से प्राप्त होने वाली लाभ के अतरिक्त होगी।

## सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0)

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयो में  केन्द्र पुरोनिधारित सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (आई0सी0टी0) योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश) संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु रू0 6.70 लाख प्रति विद्यालय की धनराशि रखी गई है जिसमें केन्द्राश 5.00 लाख तथा राज्यांश रू0 1.70 लाख निर्धारित  है। उत्तर प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजनान्तर्गत 2500 माध्यमिक विद्यालयो का चयन किया गया है जिसमें से छात्र/छात्राओ को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षण तथा कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान की जायेगी। इन 2500 विद्यालयो में बूट मॉडल आधारित योजना सचांलित की जायेगीं।

चयनित 2500 विद्यालयो में योजना के संचालन एंव क्रियान्वयन हेतु इन्हें आठ जोन के अर्न्तगत बांटा गया है। जिसमें चार जोन मेसर्स एडूकाम्प साल्यूशन लिमिटेड , नई दिल्ली को आंवटन किये गये है इन चार जोनों के अर्न्तगत 1401 विद्यालयों में योजना क्रियान्वन एंव संचालन हेतु दिनांक 01 जुलाई 2009 को शिक्षा निदेशक(मा0) एंव चयनित संस्था मेसर्स एडूकाम्प साल्यूशन लिमिटेड , नई दिल्ली के मध्य अनुबंध की शर्तो के अनुसार कम्पयूटर एंव अन्य सहवर्ती अपकरणो की आपूर्ती तथा कम्पयूटर अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूर्ण की जा चुकी है।

शेष चार जोन के अन्तर्गत 1099 विद्यालयो में क्रियान्वयन एवं  संचालन हेतु चयनित संख्या (एल–02) मेसर्स एवरान एजूकेशन लिमिटेड,चेन्नई तथा शिक्षा निदेशक   (मा0) के मध्य दिनांक 17.11.2009 को अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। मैसर्स एवरान एजुकेशन लिमिटेड को आवंटित कार्य में से इलाहाबाद  एवं आगरा जोन का कार्य मैसर्स एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन प्राईवेट नोयडा को सवलेट किया गया है।

चयनित संस्थाओ द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में 10–10 कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणो फर्नीचर, जनरेटर स्टेशनरी उपलब्ध कराते हुये तथा एक कम्प्यूटर अनुदेशक के माध्यम से योजना का कियान्वयन एवं संचालन किया जायेगा।

## लेपटॉप/टेवलेट योजना

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश में निःशुल्क लैपटॉप टेवलेट वितरण हेतु वर्ष 2012 में लेपटॉप टेवलेट योजना का शुभराम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में आयोजित उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के हाईस्कूल परीक्षा,उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पूर्व मध्यमा परीक्षा, उ0प्र मदरसा शिक्षा परिषद के हाईस्कूल के समकक्ष मुंशी या मौलवी परीक्षा /सी0बी0एस0सी0/आई0सी0एस0सी0 से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर,कक्षा 11 व समकक्ष कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर अध्यनरत छात्र/छात्राओ को निःशुल्क टेवलेट उपलब्ध कराये जाने तथा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के इण्टरमिडिएट परीक्षा, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित उत्तरमध्यमा की परीक्षा, उ0प्र मदरसा शिक्षा परिषद के इण्टरमिडिएट के समकक्ष आलिम परीक्षा , सी0बी0एस0सी0 /आई0सी0एस0सी से बारहवी कक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा हेतु उ0प्र0 मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षिणिक संस्थाओ में अध्यनरत छात्र/छात्राओ को निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध कराये जायगे।

## इन्सपायर अवार्ड योजना

इन्सपायर अवार्ड विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उदे्श्य 10 से 15 वर्ष वय वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक मे पढ़ने वाले तथा विज्ञान में विशिष्ट अभिरूचि रखने वाले विद्यार्थियो को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना है। 25 नवम्बर 2010 में इन्सपायर अवार्ड योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। सम्बन्धित विद्यालयो से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन विद्यालयो के लिये कमशः जनपदीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जनपदीय/प्रादेशिक प्रर्दशनी का आयोजन निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊके संरक्षकत्व में राज्य विज्ञान शिक्षा सस्थांन उ0प्र0 इलाहाबाद के अधीन संचालित किया जाना है।

सामान्य निर्देश–

1. जनपद स्तर की प्रदर्शनी जनपद के नोडल अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक ओर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा आयोजित की जायेगी।
2. इस योजना के तहत विद्यार्थियो को एक मुश्त 5000 हजार रू0 की धनराशि दी गयी है। जिस धनराशि के 50 प्रति0 का उपयोग उनके द्वारा मॉडल/प्रोजेक्ट बनाने में खर्च किया जायेगा तथा शेष 50 प्रति0 धनराशि जनपद स्तर के प्रदर्शनी स्थल पर मॉडल को प्रदर्शित करने मे खर्च किया जायेगा ।

3. पुरस्कार प्राप्त सभी विद्यार्थी विज्ञान मॉडल प्रोजेक्ट बनाकर जनपद स्तर की पदर्शनी में प्रतिभाग करेगे।ऐसे बच्चे जिन्हे इन्सपायर अवार्ड की 5000 हजार रू0 की धनराशि प्राप्त नही हुआ है वे बच्चे जनपद स्तर की प्रदर्शनी में प्रतिभाग नही करेगे।
4. जनपद स्तर में प्रतिभाग किये हुये विद्यार्थियो के मॉडल/प्रोजेक्ट का मुल्यांकन तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
5. निर्णायको द्वारा प्रदर्शो का मूल्यांकन संलग्न प्रंपत्र के अनुंरूप किया जायेगा।